

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी-दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-88/2020

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
केनरा बैंक, शाखा: मकराना, गोडा बास, मकराना।	बनाम 1. मैसर्स मातेश्वरी मार्बल्स प्रोपराईटर श्रीमति स्नेहलता चौहान पत्नि श्री वृज मोहन चौहान 2. श्रीमति स्नेहलता चौहान पत्नि वृज मोहन चौहान 3. श्री अश्विनी कुमार पुत्र श्री वृज मोहन चौहान, पता- गंगवा रोड़, ओम कॉलोनी, तहसील- मकराना, जिला- नागौर - 341505

आदेश

दिनांक- 24-01-2020

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को खाते में 17,00,000/- (अक्षरे सत्रह लाख रुपये मात्र) रुपये ऋण सुविधा दिनांक 20.01.2018 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण- रिहायशी सम्पत्ति भूमि व भवन खसरा नं. 790/6, पट्टा नं. 1561, मकराना, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 255.55 वर्गगज है जो कि श्रीमति स्नेहलता चौहान पत्नि श्री वृज मोहन के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार है- उत्तर में भोली देवी की भूमि, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में राजू स्वामी का प्लॉट स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 30.05.2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 18,11,826/- (अक्षरे अठारह लाख इग्यारह हजार आठ सौ छब्बीस रुपये मात्र) दिनांक 30.06.2019 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 05.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु उक्त नोटिसेज के डाक लिफाफे लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ लौटकर प्राप्त हो गये, जो अप्रार्थीगण की तामील पर्याप्त है। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 18,11,826/- (अक्षरे अठारह लाख इग्यारह हजार आठ सौ छब्बीस रुपये मात्र) दिनांक 30.06.2019 तक देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डोक्यूमेंट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्वोरिटीज बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण- रिहायशी सम्पत्ति भूमि व भवन खसरा नं. 790/6, पट्टा नं. 1561, मकराना, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 255.55 वर्गगज है जो कि श्रीमति स्नेहलता चौहान पत्नि श्री वृज मोहन के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस



814
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

प्रकार है- उत्तर में भोली देवी की भूमि, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में राजू स्वामी का प्लॉट स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से खाते में 17,00,000/- (अक्षरे सत्रह लाख रुपये मात्र) रुपये ऋण सुविधा दिनांक 20.01.2018 प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण- रिहायशी सम्पत्ति भूमि व भवन खसरा नं. 790/6, पट्टा नं. 1561, मकराना, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 255.55 वर्गगज है जो कि श्रीमति स्नेहलता चौहान पत्नि श्री बृज मोहन के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार है- उत्तर में भोली देवी की भूमि, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में राजू स्वामी का प्लॉट स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आदेश सुनाया गया।



(दिनेश कुमार पादव) 0
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

